संख्या–71 /VI-1/2004–10युवा0/2002

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग   देहरादून   दिनांक 9 अगस्त ,2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–2005 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–51/यु0क0/2004–10 युवा0/2002 दिनांक 08 जून, 2004, एवं आपके पत्रांक–444/दो–912/2004–2005 दिनांक 3 अगस्त, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय युवा कल्याण विभाग की जिलायोजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष रू0 90.18 लाख (रूपये नब्बे लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नतालिका की कुल 12 योजनाओं हेतु व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0स0	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय हजार रूपये में	लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि हजार रूपये में	अवशेष स्वीकृत धनराशि हजार रूपये में
1–	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	2429	1214	1215
2–	युवक/महिला मंगल दलो को प्रोत्साहन	2234	–	2234
3–	स्वयं सेवका का सुदृढ़ीकरण	2891	893	1998
4–	समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा कार्य	2704	1352	1352
5–	विवेकानन्द यूथ अवार्ड	244	–	244
6–	युवा केन्द्रो की स्थापना/रख रखाव	2689	–	214
7–	सेमिनार/संगोष्ठी	391	195	196
8–	सांस्कृतिक कार्यक्रम	823	411	412
9–	प्रकीर्ण व्यय	1250	375	875
10–	व्यायामशालाओं की स्थापना/उपकरणों का क्रय	1070	–	50
11–	व्यावसायिक प्रशिक्षण	671	–	171
12–	महिला संगठको का मानदेय/साहसिक कार्यक्रम दर्शन	57	–	57
	कुल योग–	17453	4440	9018

(रूपये नब्बे लाख अठारह हजार मात्र)

2–यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3–किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल भंडार क्रय नियम टेन्डर कोटेशन तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा। और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4—उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2204—खेलकूद तथा युवा सेवायें—00—आयोजनागत—001—निदेशन तथा प्रशासन—91—जिला योजना—9101—प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग—42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5— धनराशि की जनपदवार फांट, जनपदवार एवं योजनावार आंवटित / अनुमोदित परिव्यय के अनुरूप ही तैयार की जायेगी एवं इसके अनुरूप ही सभी जनपदों की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6—उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—548 / वित्त अनुभाग—2 / 2004 दिनांक 06 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रहें है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—71 (1) / VI-1 / 2004—10 युवा0 / 2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2—वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3—श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4—वित्त अनुभाग—2, उत्तरांचल शासन।
5—एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6—निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
7—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।